

## आदेश

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1489-91/नि0प्रा0शि0/स्था0-29/2020-21 दिनांक 13/08/2021 द्वारा विभिन्न पालीटेक्निक संस्थाओं में तैनात वैयक्तिक सहायकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (वेतनमान लेवल 06-35400-112400) पद पर पदोन्नत किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार रिक्त पदों पर तैनाती प्रदान की जाती है :-

क्र 0सं 0	कर्मचारी का नाम, संस्था का नाम	वर्तमान पदनाम	पदनाम जिस पर पदोन्नति की गयी	नवीन तैनाती संस्था का नाम
01	श्री दिग्विजय सिंह रा0पा0 आमवाला	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 प्रतापनगर
02	श्री बी0 एस0 राठौर रा0पा0 कोटाबाग	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 पंतनगर
03	श्री एल0एम0 जोशी रा0पा0 नैनीताल	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 ताकुला
04	श्री प्रेमप्रकाश जोशी रा0पा0 मूनाकोट	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0म0पा0 अल्मोड़ा
05	श्री कमल सिंह प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 पौड़ी
06	श्री नरेश सिंह रा0पा0 खटीमा	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 गरुड़
07	श्री गिरीराज सिंह रा0पा0 भलस्वागाज	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 गैरसैण
08	श्री राहुल रा0पा0 हिण्डोलाखाल	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल
09	श्री गिरीश चन्द्र त्रिपाठी रा0पा0 पोखरी	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0पा0 कालाढूंगी
10	श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट रा0पा0 पीपली	वैयक्तिक सहायक	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रा0म0पा0 देहरादून

- 1 सम्बन्धित कार्मिक पदोन्नति के पद पर आदेश जारी होने के अधिकतम 02 सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, यदि कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक की उक्त पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 2 सम्बन्धित प्रधानाचार्य उक्त कार्मिकों के पदोन्नत के फलस्वरूप उक्तानुसार की गयी तैनाती के आदेश को रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करें। यदि कोई कार्मिक उक्त आदेश के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेंगे तो उनके कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(हरि सिंह)  
निदेशक।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)

पृ०सं० 1744-48/नि०प्रा०शि/स्था०-29/2021-22 दिनांक 24 अगस्त 2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को महोदया के अवगतनार्थ।
2. सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पॉलीटेक्निक, को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रधानाचार्य।
5. गार्ड फाईल।

(एस०के० वर्मा)  
उपनिदेशक।